

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 28.3.17

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
अगस्त,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
सितम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
अक्टूबर,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
नवम्बर,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
दिसम्बर,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
योग :-			38005.11

औसत :- $38005.11 \div 6$
= 6334.18

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- घरेलू कामगार,
अधिसूचना संख्या-4975, 4976 दिनांक- 29.11.2016
गजट संख्या- 1021 दिनांक-30.11.2016

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)	दिनांक-01.12.2016 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2017 से प्रभावी होगी	दि० 01.04.2017 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00	14.00	721.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतनधोना (प्रति घंटा)	707.00	14.00	721.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्बर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	707.00	14.00	721.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	5645.00	113.00	5758.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू विविध कार्य करना । (08 घंटा)	5645.00	113.00	5758.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कर्मा की जायेंगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हों तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2016 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2017 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

२४.३.१७

२४.३.१७

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक- का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0- 1198)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

२४.३.१७

२४.३.१७

(अरूण कुमार नं0-1)

अवर सचिव ।

NOTIFICATION

Patna, dated- 28.3.17

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index NO Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2016	280	4.63 X4.93	6391.25
August,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
September,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
October,2016	278	4.63 X4.93	6345.60
November,2016	277	4.63 X4.93	6322.77
December,2016	275	4.63 X4.93	6277.12
Total			38005.11
Average :-			38005.11 ÷ 6 = 6334.18

SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- Domestic Workers
 Notification No:-4975, 4976 date:- 29.11.2016
 Gazette No. - 1021 dated - 30.11.2016

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated- 01.12.2016 Minimum Wage Fixed (In.Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date- 01.04.2017	Total rates of wages effective from the date 01.04.2017 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	Washing the utensils (Per hour)	707.00	14.00	721.00 Permonth
2	Washing the clothes/ washing the Utensil (Per hour)	707.00	14.00	721.00 Permonth
3	Washing the clothes/ washing the utensil house keeping (A. House of 1000 Sq. ft.) (Per hour)	707.00	14.00	721.00 Permonth

4	Washing the cloths/washing the utensils House Keeping and looking after the children (Eight hours)	5645.00	113.00	5758.00 Permonth
5	Washing the cloths/washing the utensils House Keeping and looking after the children/ and taking to school and back other miscellaneous domestic works. (Eight hours)	5645.00	113.00	5758.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even it the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised , there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of Variable Dearness Allowance on the basis of average index of July-December,2016 will be payable at the aforesaid rates from April,2017 and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumers Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/M.W.- 401/07 L&R - 1197)
By the order of the Governor of Bihar,

28.3.17
(Arun Kumar No.-1)
Under Secretary.

